

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 06-01 / 2021 / अ-73

भोपाल दिनांक 2 / 08 / 2022

प्रति,


उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय म.प्र.
भोपाल।

विषय:-मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के नियम 18 अ (4) के संबंध में स्पष्टीकरण/व्याख्या जारी किये जाने बावत।

संदर्भ:-उद्योग संचालनालय (अधोसंरचना विकास कक्ष) की एकल नस्ती क्र. 88/आईडी/बी-2/2022, दिनांक 21.07.2022

विषयांकित एवं संदर्भित एकल नस्ती के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के नियम 46 में विभाग को प्रदत्त अधिकार के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के संबंध में निम्नानुसार व्याख्या/स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

क्र.	नियम	प्रावधान	व्याख्या/स्पष्टीकरण
1	18 हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया 18 अ (4)	ऐसे भूखण्ड जिनमें विकास शुल्क की राशि का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है, के हस्तांतरण में पुनः विकास शुल्क देय नहीं होगा। परंतु भूखण्ड के पूर्व प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु हस्तांतरित होने पर यदि परिवर्तित प्रयोजन का प्रचलित प्रिमियम अधिक हो तो प्रिमियम के अंतर की राशि भी देय होगी।	अंतरण प्रकरणों के समय ऐसे भूखण्ड जिनमें विकास शुल्क की राशि का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है, के अंतरण में पुनः विकास शुल्क देय नहीं होगा। परंतु यदि पूर्व में विकास शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो, प्रचलित नियमों के अनुसार एक बार विकास शुल्क अंतरण के समय लिया जाना होगा।


(शशि भूषण सिंह)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग